संख्या 3734/बयालिस–2010–29(बजट)/2010

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
खेल
खेल, निदेशालय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर 2010

विषयः–राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार दिये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या जी–652/एशि0गे0/2010–11, दिनांक 02.12.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार दिये जाने हेतु रू0 65,00,000/–(रू0 पैंसठ लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि श्री राज्यपाल महोदय पुर्नविनियोग के माध्यम से जिसका विवरण निम्न प्रस्तर में दिया गया है में हो रही बचतों से वहन कर व्यय किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 65,00,000/–(रू0 पैंसठ लाख मात्र) अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाये– आयोजनेतर– 104 –खेलकूद–13–राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियो को पुरस्कार–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता में 2204–खेलकूद तथा युवा सेवार्ये– आयोजनेतर– 104– खेलकूद– 06–क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियो पर व्यय (बालक)–42–अन्य व्यय में हो रही बचतो से वहन कर व्यय की जायेगी।

3– उक्त धनराशि उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी जिन कार्यो के लिए पुर्नविनियोग द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस बात का कड़ाई से पालन किया जाय।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मदवार चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद एवं शासन के वित्त विभाग एवं खेल विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

सलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव

संख्या 3734(1)/बयालिस–2010– तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभग–5(वित्त आय–व्ययक–1/2)
4–निजी सचिव,मा0मंत्री,खेलकूद एवं युवा कल्याण,उत्तर प्रदेश शासन।
5–निजी सचिव,प्रमुख सचिव,खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव

फार्म बी0एम0–9(भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लि67ए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)

~~(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भांति देख लिया जाय)~~

अनुदान संख्या व नाम :– अनुदान संख्या–22 वित्तीय वर्ष 2010–11

नाम:–13–राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाडियो को पुरस्कार

20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

(रू0 हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2204001040 60042	32395	12395	6500	6500	25895

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष(15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2204001041 30020	20000	26500	6500	6500	26500

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाये– आयोजनेतर–104–खेलकूद–06–क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालक)–42–अन्य व्यय मद में रू0 200.00 लाख की बजट व्यवस्था है तथा प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से भोजन की दरो मे रू0 50/– की दर से बढोत्तरी किये जाने के कारण रू0 123.95 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है परन्तु शासन द्वारा अभी तक इसकी राजाज्ञा जारी न किये जाने के कारण बचतें सम्भावित है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है :–
राष्ट्रमण्डल खेल एवं एशियाइ खेलो में उत्तर प्रदेश के पदक विजेताओं को पुरस्कृत किये जाने के लिए।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150, व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आरई 295 दिनांक 22-12-2010

8-5-1451/दस–2010

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

(अनिल कुमार)
अनु सचिव,
खेल विभाग

(निहालुद्दीन खां)
अनु सचिव
वित्त विभाग

संख्या ~~3863~~ 3734/42/2010–29बजट/2010 दि0 23-12-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–संबंधित विभागाध्यक्ष(नियंत्रक अधिकारी)
2–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3–निदेशक,वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
4–वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1(तीन प्रतियों में)

(अनिल कुमार)
अनु सचिव